प्रपत्र

संख्या–1991 / तेइस–1–2008–81सा / 08

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास),
लोक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई 2008

विषयः–लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–303 / तेईस–2–95–98 / 94 दिनॉक 03.02.95 द्वारा मार्गों व सेतुओं का किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामकरण किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शक सिद्वान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–303 / तेईस–2–95–98 / 94 दिनॉक 03.02.95 के मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रस्तर–1(4) के बाद प्रस्तर–1(5) के रूप में निम्नलिखित अशं जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है:–

"प्रदेश के राज्य मार्ग को छोड़कर प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण सम्पर्क मार्ग, एवं किसी नदी पर स्थित सेतु का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर अपवाद स्वरूप मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेश से किया जा सकेगा।"

2– शासनादेश सं0–303 / तेईस–2–95–98 / 94 दिनॉक 03.02.95 तद्नुसार इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1991(1) / तेइस–1–08–81सा / 08 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–सचिव, नगर विकास विभाग।
4–समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5–गृह (सामान्य) अनुभाग।
6–नगर विकास अनुभाग–7 / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(परशुराम प्रसाद)
उप सचिव।